न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , पुगल
पीठासील अधिकारी– महेन्द्र सिंह यादव, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः– 11-2-2020

अपील संख्या

मोहनी देवी पुत्री स्व. सुरजा राम जाति सुथार पत्नि गणपतराम उम्र 64 वर्ष
निवासी सुथारो का मोहला चोखुंटी बीकानेर।

अपीलान्ट्

–बनाम–

1. जेठाराम पुत्र स्व. सुरजा राम जाति सुथार निवासी ग्राम करणीसर भाटीयान तहसील पूगल जिला बीकानेर ।
2. धमाराम उर्फ धन्नाराम पुत्र स्व. सुरजा राम जाति सुथार निवासी ग्राम करणीसर भाटीयान तहसील पूगल जिला बीकानेर
3. किशनाराम पुत्र स्व.छगनाराम पुत्र पुत्र स्व. सुरजा राम जाति सुथार निवासी ग्राम करणीसर भाटीयान तहसील पूगल जिला बीकानेर ।
4. जैता देवी पत्नि स्व. पुर्णाराम पुत्र स्व. सुरजा राम जाति सुथार निवासी ग्राम करणीसर भाटीयान तहसील पूगल जिला बीकानेर ।
5. ईशरराम पुत्र स्व. पुर्णाराम पुत्र स्व. सुरजा राम जाति सुथार निवासी ग्राम करणीसर भाटीयान तहसील पूगल जिला बीकानेर ।
6. भवरी पुत्री स्व. पुर्णाराम पुत्र स्व. सुरजा राम जाति सुथार निवासी ग्राम करणीसर भाटीयान तहसील पूगल जिला बीकानेर ।
7. राजु पुत्री स्व. पुर्णाराम पुत्र स्व. सुरजा राम जाति सुथार निवासी ग्राम करणीसर भाटीयान तहसील पूगल जिला बीकानेर ।
8. जमना देवी पुत्री स्व. सुरजा राम जाति सुथार पत्नि भूराराम निवासी खिचिया तहसील व जिला बीकानेर।
9. मघी देवी पुत्री स्व. सुरजा राम जाति सुथार पत्नि इमाराम गांव हदा तहसील कोलायत जिला बीकानेर
10. मीरा देवी पुत्री स्व. स्व. सुरजा राम जाति सुथार पत्नि हीराराम गांव हदा तहसील कोलायत जिला बीकानेर
11. ग्राम पचांयत करणीसर भाटियान जरिये सरंपच
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल

उपखण्ड अधिकारी
पूगल (बीकानेर)

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 17/09/1998 इतंकाल सख्यां 132
जरिये सरपंच ग्राम पचांयत करणीसर भाटियान

उपस्थितः–

1.विनोद कुमार अभिभाषक अपिलाट्ं 2. रामलाल खाती अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. गीरधारी सिंह राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलाट्ं ने यह अपील ग्राम पचांयत करणीसर भाटियान जरिये सरंपच तहसील पूगल जिला बीकानेर द्वारा इतंकाल सख्यां 132 दिनांक 17/09/1998 के द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध इस न्यायालय में भूराजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कि है

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष कि बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाट्ं ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाट्ं के पिता के नाम से तहसील पूगल के गावं करणीसर भाटीयान के खसरा न0 150,192,195,196,371,374,375 रकबा बारानी 17.4500 हैक्टर भुमि है यह भुमि खातेदारी स्थित थी जो अपीलाट्ं के पिता का स्र्वगवास दिनांक 08/02/1982 को हो चुका है व माता बाधू का भी स्र्वगवास पिता से पहले दिनांक 15/4/1968 को हो गया था।

आगे अपीलाट्ं के अभिभाषक के द्वारा बताया गया कि अपीलाट्ं के पिता के स्वं पष्चात अपीलाट्ं के भाई जो अपील मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 है व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 है भतीजा लगता है व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 8 के पति व पिता द्वारा ग्राम पचांयत करणीसर भाटियान से फर्जी वारीस प्रमाण–पत्र बनाकर हल्का पटवारी से मिली भगत कर के इन्तकाल रजिस्टर संघारित करवा कर अपीलाट्ं का हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 11 जो अपीलाट्ं कि बहने है उनका हिस्सा भी छिनते हुऐ अपीलाट्ं के पिता कि खातेदारी भुमि का ईन्तकाल संख्या 132 दिनांक 17/09/1998 स्वीकार करवाया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है

4. उन्होंने आगे बताया कि अधिनस्त न्यायालय द्वारा जो ईतंकाल संख्या 132 दिनांक 17/09/1998 स्वकृत कराया उसमे अपीलाट्ं कि माता को जीवीत बताकर इतंकाल स्वकृत कराया है। जबकि अपीलाट्ं कि माता दिनांक 15/04/68 को फौत हो गयी थी इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेष प्रारम्भ से हि षुन्य है व

उपखण्ड अधिकारी
पूगल (बीकानेर)

बिल्कुल विधि के प्रावधानो के विरूद्ध है मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारीत करना कानुन के प्रावधानो के विरूद्ध है। हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार कि मौका रिपोर्ट नही बनवाई गयी। ना ही गांव के मौजीज व्यक्तियों द्वारा वारीसों कि तस्दिक करवाई गयी सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से अपीलाट्ां का हिस्सा हड़पने कि नियत से कि गयी है । इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17/09/98 निरस्त करने योग्य है।

इन्होनें मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एक तरफा क्षेत्राधिकार से बाहर जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नही है। अपील के साथ धारा5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित कि जावे ।

5. विद्वान रेस्पोडेन्ट व राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाट्ं ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/09/98 के विरूद्ध अपील दिनांक 27/08/19 को पेश कि है जो कि विलंम्ब से पेश की है। इस अपील मियाद बाहर है मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई सन्तोष जनक कारण अंकित नही किया है इसलिए अपील खारिज फरमाई जावे ।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के प्ररिप्रेक्ष्य में अध्यन किया गया ।

7. जहां तक मियाद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/09/98 को पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 27/08/19 को पेश कि गई है अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके खण्डन में राज्य पक्ष व रेस्पोडैन्ट सख्यां 1 ता 9 द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है चुकि अपीलाधीन आदेश अपीलाट्ां के पीठ के पीछे एक तरफा तौर पर पारित किया गया है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित कि जाती है।

8. जहां तक गुणा व गुण का प्रश्न है हमने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश ईतंकाल संख्या 132 दिनांक 17/09/1998 का अवलोकन किया व अपीलाट्ां के पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र व माता बाधु देवी

उपखण्ड अधिकारी
पूगल (बीकानेर)

के मृत्यु प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया जिसमे अपीलाट्ां के पिता दिनांक 08/02/82 को स्र्वगवास हुआ है। व माता का दिनांक 15/04/68 को स्र्वगवास हुआ है तब माता पिता से पहले हि स्र्वगवास हो गयी थी तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर मृत व्यक्ति बाधू देवी के नाम से ईतंकाल संख्या 132 स्वकृत किया गया है। जो कि प्रारम्भ से हि शुन्य है विधि का सर्वविधित सिद्धांत हे कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत आदेश दिनांक 17/09/98 पारीत करते समय किसी प्रकार कि वारीसों कि जांच किये बीना व हल्का पटवारी द्वारा बिना फर्द मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना व गांव के मोजीज व्यक्तियों से पुछताछ किये बिना इस प्रकरण मे हल्का पटवारी द्वारा इतंकाल रजिस्टर संघारीत किया गया है। इस प्रकार इतंकाल संख्या 132 बिना वारीसो कि सही जांच व बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना जल्दबाजी मे ग्राम पंचायत से स्वीकृत कराया प्रतीत होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट्ां की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/09/98 इतंकाल सख्यां 132 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पुगल को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्ररकरण में वारीसों कि सही जांच करते हुए नियमानुसार इतंकाल दर्ज किया जावे।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11-2-2020 को सर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पुगल, जिला–बीकानेर

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी पुगल

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पुगल